ज्ञान भारतम मिशन के तहत विरासत संरक्षण को पांडुलिपियों व ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन

पांडुलिपियां हमारी समृद्ध इतिहास का है जीवंत आईना, संरक्षण की जरूरत : डीएम

भास्कर न्यूज़ | जहानाबाद

जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने कहा कि प्राचीन पांडुलिपियां हमारे पुरातन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के जीवंत व प्रेरक आईना हैं। इसके संरक्षण व संवर्द्धन से नई पीढ़ी को इतिहास से प्रेरणा लेकर कुछ नया करने को संबल मिलता है। डीएम ने कहा कि यह एक प्रमाणिक तथ्य है कि विश्व का कोई भी समाज अपने गौरवपूर्ण इतिहास व संस्कृति की अनदेखी कर ज्यादा दूर तक नहीं जा सका है। दरअसल वे इन दिनों ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के क्रम में प्राचीन पांडुलिपियों की खोज कर स्वयं उनका अवलोकन कर संग्रहित करा रहीं हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को वे हुलासगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रसिद्ध धार्मिक व आध्यात्मिक संस्थान गोपुरम परिसर के अलावा लाट स्थित प्राचीन स्तंभ(पिलर), दावथू गांव में संभावित पालकलीन खंडित मूर्तियां, जारू बनबरिया के तीर्रा पंचायत स्थित योगेश्वर नाथ शिव मंदिर का ऐतिहासिक पांडुलिपियों का गहन अवलोकन किया। डीएम ने अवलोकन के दौरान हुलासगंज संस्थान में उपलब्ध प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व के कई दुर्लभ पांडुलिपियों पर गौर किया।

ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के स्थलों के अवलोकन पर्यटन की संभावनाओं को भी तलाशा

हुलासगंज आध्यात्मिक संस्थान में पांडुलिपि पर गौर करतीं डीएम

ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर पर्यटन की संभावनाओं को भी तलाशा

जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के स्थलों के मुआयना के दौरान जिले में पर्यटन विकास की संभावनाओं की भी तलाश की। उन्होने पर्यटन को बढ़ावा देने तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के उद्देश्य से हुलासगंज प्रखंड अंतर्गत विभिन्न स्थलों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होने इस दौरान हुलासगंज प्रखंड स्थित हुलासगंज मठ, लाट स्थित प्राचीन स्तंभ(पिलर), दावथू ग्राम में संभावित पालकलीन खंडित मूर्तियां, जारू बनबरिया के तिर्रा पंचायत स्थित योगेश्वर नाथ शिव मंदिर का भ्रमण के दौरान भारतीय मूर्ति व वास्तुकला का बेजोड़ नमूना बताते हुए उक्त स्थलों को पर्यटन से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित स्थलों की स्थिति का निरीक्षण कर स्थानीय पुजारियों व जानकार ग्रामीणों से बातचीत की एवं इनके ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्ता को समझते हुए इन स्थलों के संरक्षण एवं विकास की आवश्यकता पर बल दिया। हुलासगंज संस्थान के भ्रमण के दौरान डीएम ने सर्वप्रथम वहां उपलब्ध पांडुलिपियों को गौर से देखा। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उक्त सभी स्थलों को पर्यटन दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा, जिससे उक्त महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में आगे के लिए कोई ठोस रणनीति पर विचार किया जा सके। डीएम ने कहा कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने में ऐतिहासिक धरोहरों का कायदे से संरक्षण काफी उपयोगी साबित हो सकता है। उन्होने कहा कि आज भी एक बड़ी आबादी प्राचीन व गौरवपूर्ण इतिहास को जानने के लिए काफी उत्सुक है। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुलासगंज को भी निर्देश दिया कि इन सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की नियमित साफ-सफाई तथा इनका संरक्षण अनुश्रवण अपने स्तर से करें।

ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड कर संरक्षित होंगी प्राचीन पांडुलिपियां

उन्होंने बताया कि ये सभी पांडुलिपियां एतिहास के विभिन्न कालखंडों से संबंधित है, जिनका संरक्षण किया जाना एवं अगली पीढ़ी को अवगत कराने की जरूरत है ताकि उन्हें इतिहास से रूबरू होने का अवसर मिल सके। इस क्रम में उन्होने जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी चांदनी कुमारी को निर्देशित किया कि सभी उपलब्ध पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड कर संरक्षित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। दरअसल भारत सरकार की ज्ञान भारतम मिशन अंतर्गत विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं, मठों, मंदिरों, सामाजिक संगठनों, निजी एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा व्यक्तियों के पास उपलब्ध कम से कम 75 वर्ष प्राचीन पांडुलिपियों पहचान, सर्वेक्षण, सूचीकरण (कैटलॉगिंग), संरक्षण एवं डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण में जिलाधिकारी के साथ जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सुश्री स्वाति कुमारी आदि कई प्रमुख लोग शामिल थे।

काको बाजार में स्कॉर्पियो रोक दंपती से मारपीट

काको| स्थानीय बाजार स्थित पुरानी थाना के समीप गुरुवार को बाइक सवार दो युवकों द्वारा एक स्कॉर्पियो को रोककर उस पर सवार पति-पत्नी के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में पति गम्भीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काको में भर्ती कराया गया। घायल व्यक्ति की पहचान घोसी थाना क्षेत्र के वैना गांव निवासी उदय शंकर शर्मा के रूप में की गई है। बताया जाता है कि उदय शंकर शर्मा अपनी पत्नी के साथ जहानाबाद से स्कॉर्पियो से घर लौट रहे थे। इसी दौरान काको बाजार स्थित पुरानी थाना के समीप किसी बात को लेकर बाइक सवार दो युवकों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों युवकों ने स्कॉर्पियो रोककर पति-पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी।

सहयोग शिविर की तैयारियों को लेकर हुई बैठक

करपी|सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में गुरुवार को प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार के निर्देशानुसार पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले "सहयोग शिविर" कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कार्ययोजना तैयार करना था। बैठक में अंचल अधिकारी प्रेम आनंद प्रसाद, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुशांत शर्मा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राहुल कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पूजा कुमारी आदि थे।

न्यूज ब्रीफ

पेट्रोल कीमत बढ़ने की अफवाह से पंपों पर उमड़ी भीड़

करपी| ईरान में चल रहे युद्ध और अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की अफवाह एक बार फिर क्षेत्र में तेजी से फैल गई। अफवाह फैलते ही विभिन्न पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपनी मोटरसाइकिल एवं अन्य वाहनों में अधिक मात्रा में पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी कतार में खड़े दिखाई दिए। बताया जाता है कि शाहरतेलपा स्थित पेट्रोल पंप पर किसी कारणवश कुछ समय के लिए पेट्रोल उपलब्ध नहीं रहने की सूचना फैल गई। इसके बाद आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग घबराकर करपी एवं अन्य स्थानों के पेट्रोल पंपों की ओर पहुंचने लगे। देखते ही देखते कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गई और अफरा-तफरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है तथा आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।

जनगणना के प्रथम चरण के कार्यों का किया अवलोकन

कुर्था|भारत जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत चल रहे कार्यों का अवलोकन उप चार्ज पदाधिकारी बबीता कुमारी सिंह एवं वरीय पर्यवेक्षक राकेश कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने ईबी (एन्यूमरेशन ब्लॉक) के आधार पर प्रगति की समीक्षा की ।अवलोकन के क्रम में प्रगणकों से मकान सूचीकरण, नजरी नक्शा तथा अन्य संबंधित कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। अधिकारियों ने कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। इस दौरान प्रगणकों ने फील्ड में कार्य करते समय आने वाली विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। उप चार्ज पदाधिकारी एवं वरीय पर्यवेक्षक ने इन समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करना प्राथमिकता है और इसके लिए सभी को समन्वय बनाकर कार्य करना होगा।

प्राचार्य को डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर शिक्षकों में खुशी

रतनी | मगध महाविद्यालय शकूराबाद के प्राचार्य मुकेश कुमार पांडेय को गुरुवार को मगध विश्वविद्यालय बोधगया से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई श्री पांडेय का उपाधि विषय समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत युवा वर्ग में नशा सेवन की बढ़ती समस्या पर शोध किया गया शोध के उपरांत उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है डॉ0 सुरेंद्र कुमार जायसवाल सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के निर्देशन में इन्होंने शोध पर वक्तव्य दिए इसके उपरांत इन्हें उपाधि प्रदान की गई प्राचार्य श्री पांडेय को डॉक्टरेट की उपाधि मिलने के बाद महाविद्यालय परिवार में खुशी का लहर देखा गया महाविद्यालय के सचिव शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के द्वारा उन्हें बधाई दी गई तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई बधाई देने वालों में महाविद्यालय के अध्यक्ष सच्चिदानंद शर्मा ,सचिव शशि भूषण कुमार उर्फ़ गोपाल शर्मा ,सदस्य मिथिलेश्वर शर्मा ,सुनील शर्मा आदि थे।

अईयारा गांव के बधार में लगी आग

करपी |स्थानीय थाना क्षेत्र के अईयारा गांव के बधार में गुरुवार को खेत में रखे पुआल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और बारी-बारी से कई किसानों का पुआल धू-धू कर जलने लगा। आग लगते ही किसानों ने शोरगुल मचाकर लोगों को इसकी सूचना दी, लेकिन आग की भयावह लपटों के कारण कोई भी नजदीक जाकर आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। घटना की सूचना करपी थाना को दी गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष द्वारा अग्निशमन विभाग की गाड़ी गांव भेजी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। इस अगलगी की घटना में अजय सिंह, राजेश साव, भोला सिंह, रणविजय सिंह, मधुसूदन सिंह समेत कई अन्य किसानों का पुआल जलकर राख हो गया। घटना के बाद किसानों के समक्ष पशुओं के चारे का संकट उत्पन्न हो गया है। बताया जाता है कि इस अग्निकांड में करीब 90 हजार रुपये मूल्य के पुआल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

डीएम ने किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण

भास्कर न्यूज़ | अरवल

जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस ने गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयर हाउस में सुरक्षित रखी गई ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था, रख-रखाव तथा निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की। डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने वेयर हाउस परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की जांच की और निर्देश दिया कि सभी कैमरे चौबीसों घंटे सक्रिय स्थिति में रहें। उन्होंने अग्निशमन उपकरणों की

उपलब्धता एवं उनकी कार्य स्थिति का भी निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा संसाधनों का नियमित परीक्षण आवश्यक है।

उन्होंने प्रवेश एवं निकासी पंजी का अवलोकन करते हुए सभी गतिविधियों का विधिवत संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा।

शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की उपेक्षा अब बर्दाश्त नहीं

जहानाबाद|बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ, पटना तथा मगध क्षेत्र के संयुक्त आह्वान पर स्थानीय एसएस कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारियों का दो दिवसीय सामूहिक कलमबंद हड़ताल गुरुवार को भी पूर्णतः सफल रहा। हड़ताल के क्रम में कर्मचारियों ने एकजुटता एवं उत्साह के साथ कार्य बहिष्कार करते हुए महाविद्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन आयोजित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व शिक्षकेतर कर्मचारी संघ, महाविद्यालय इकाई के सचिव प्रेम कुमार ने किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए संगठनात्मक एकता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया। अपने संबोधन में सचिव प्रेम कुमार ने कहा कि शिक्षकेतर कर्मचारियों की जायज मांगों की लंबे समय से लगातार उपेक्षा की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष व्याप्त है।

सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने की क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना

छपन्ना गांव पहुंचे सांसद, महायज्ञ में की पूजा

भास्कर न्यूज़ | जहानाबाद

घोसी प्रखंड के छपन्ना गांव में गुरुवार से आयोजित श्री श्री शतचंडी प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच शुरू हो गया। महायज्ञ के पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ आसपास के गांवों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने यज्ञ स्थल का भ्रमण किया और आयोजन समिति के सदस्यों से मुलाकात कर कार्यक्रम की तैयारियों की सराहना की। सांसद ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता को मजबूत करता हैं। ऐसे कार्यक्रम लोगों को बुराइयों से दूर रहकर अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान भारतीय संस्कृति और परंपरा की पहचान हैं तथा इससे नई पीढ़ी को भी संस्कार और अध्यात्म से जुड़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में उनका हरसंभव सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। सांसद के आगमन पर ग्रामीणों और यज्ञ समिति के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया गया कि महायज्ञ का आयोजन 15 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में आचार्य भूषण मिश्रा के प्रवचन श्रद्धालुओं को अध्यात्म और धार्मिक मूल्यों से जोड़ रहा है। रात्रि में रामलीला और रासलीला का मंचन भी किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। गांव में चारों ओर भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजीव कुमार, अर्जुन कुमार, धनेश कुमार,नागेंद्र कुमार, रोशन कुमार आदि ने सहयोग किया।

कतरासिन मठ में भीषण आग, लाखों का नुकसान

सिटी रिपोर्टर | मखदुमपुर

मखदुमपुर प्रखंड के ऐतिहासिक कतरासिन मठ में गुरुवार को अचानक भीषण आग लग जाने से अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते मठ में रखे लाखों रुपये मूल्य के सामान जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। बाद में अग्निशमन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।

मठ के सदस्य विकास कुमार ने बताया कि आगजनी की इस घटना में चांदी, पीतल और कांसे के बर्तन

समेत पूजा-पाठ में उपयोग होने वाली कई कीमती सामग्री जलकर नष्ट हो गई। इसके अलावा कपड़े, अनाज तथा अन्य जरूरी सामान भी आग की चपेट में आकर राख हो गए। उन्होंने बताया कि मठ में रखे अधिकांश सामान को बचाने का मौका नहीं मिल सका।

स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने के बाद कुछ देर तक इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया।

विकास कुमार ने बताया कि इस आगजनी की घटना में करीब 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद मठ से जुड़े लोगों में काफी दुख और मायूसी देखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का स्टेट टीम ने किया मूल्यांकन

हुलासगंज | जिले के स्वास्थ्य संस्थानों के मानकों पर मूल्यांकन का काम जारी है। इसी कड़ी में हुलासगंज प्रखंड में गुरुवार को स्वास्थ्य उपकेंद्र चिरी एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र सुल्तानपुर में स्टेट लेवल एनक्यूएएस प्रमाणीकरण के लिए राज्य स्तरीय बाह्य मूल्यांकन टीम ने मौके पर रहकर वास्तविक स्थिति का असेसमेंट किया। बाह्य असेसर टीम ने दोनों आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में ओपीडी सेवाएं, प्रसव पूर्व जांच कक्ष, टीकाकरण, दवा भंडार, संक्रमण नियंत्रण, बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन, रिकॉर्ड संधारण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग एवं मरीज संतुष्टि सहित एनक्यूएएस के सभी 12 मानकों का गहन मूल्यांकन किया।

पहल • जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत को ले प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बनाई रणनीति

50% कम राशि पर ट्रैफिक चालान का निष्पादन

भास्कर न्यूज़ | जहानाबाद

अगामी 9 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को ले गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विकास कुमार ने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी मुद्दों पर विमर्श किया। बैठक में सरकार के निर्देश के आलोक में यातायात चालान निष्पादन योजना 2026 लागू की गई है, जिसमें शमन की राशि में 50 प्रतिशत तक कम करने का प्रावधान है। सरकार के इस योजना में बड़ी संख्या में लोगों के चालान जमा करने के लिए सम्मिलित होने की संभावना है। अधिक लोगों के मामले की सुनवाई में सहुलियत के लिए इस दफे लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर से हटकर टाउन हॉल में व्यवस्था की गई है। जिला जज ने जिले वासियों से फिर अपील करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लोग फायदा उठाएं और अपने लंबित मामलों का सुगमता के साथ निष्पादन कराएं। उन्होने कहा कि लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन आयोजन स्थल पर आकर अपने वादों को निस्तारण करने में विशेष रुचि लें। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा अधिकतम जरूरतमंदों को मिले, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार तत्परता से काम कर रहा है।

बैठक करते जिला एवं सत्र न्यायाधीश

2350 लंबित वादों को चिह्नित किया गया

आम लोगों की सहायता के लिए प्रशासन के भी विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ब्रजेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर अभी तक 2350 लंबित वादों को चिन्हित किया गया है। 88 वादों में निस्तारण के लिए पहले ही सहमति प्रदान किया गया है। लोक अदालत में लगभग 500 से अधिक वादों का निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए न्यायालय स्तर से बड़े पैमाने पर नोटिस प्रेषित करने की कार्रवाई की गई है। विभिन्न विभागों एवं न्यायालयों के साथ कई बार बैठक कर तैयारी को अंतिम रूप दिया गया है। जिला विधिक सेवा पाधिकार के सचिव ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल 12 बेंच का गठन किया गया है। व्यवहार न्यायालय जहानाबाद के लिए 8 और व्यवहार न्यायालय अरवल के लिए चार बेंच शामिल है।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !
सम्पति वसूली प्रबंधन शाखा
ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पतियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पतियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	पीएनबी- बारुण (122600) श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह पिता श्री राम नंदन सिंह खातासंख्या-1226008700002048 निवासीः ग्राम-करमडीह, पोस्ट एवं थाना-बारुण, जिला-औरंगाबाद बिहार-824112 श्री रणविजय सिंह पिता हरि सिंह (गारंटर) निवासीः ग्राम-करमडीह, पोस्ट एवं थाना-बारुण, जिला-औरंगाबाद बिहार-824112	1. अचल संपत्ति स्थितः मौजा- खैरा करमडीह, पोस्ट एवं थाना- बारुण, जिला- औरंगाबाद, थाना संख्या- 151, खाता संख्या- 35, प्लॉट संख्या- 319, क्षेत्रफल- 1 5/8 डेसिमल, प्लॉट संख्या- 738, क्षेत्रफल- 1 5/8 डेसिमल एवं प्लॉट संख्या- 321, क्षेत्रफल- 1 5/8 डेसिमल (कुल क्षेत्रफल- 4 7/8 डेसिमल), विक्रय विलेख संख्या- 13234 दिनांक 08.12.2011 श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह पिता श्री राम नंदन सिंह के नाम पर। चौहद्दीः उत्तर- निज क्रेता, दक्षिण- बिजेंद्र सिंह, पूर्व- रामनंदन राम, पश्चिम- पिंड छावर 2. अचल संपत्ति स्थितः मौजा- खैरा करमडीह, पोस्ट एवं थाना- बारुण, जिला-औरंगाबाद, थाना संख्या- 151, खाता संख्या- 35, प्लॉट संख्या- 319, क्षेत्रफल- 3 1/8 डेसीमल जिसका सेल डीड संख्या- 13081 दिनांक 01.12.2011 श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह पिता श्री राम नंदन सिंह के नाम पर। चौहद्दीः उत्तर- रामनंदन राम, दक्षिण- रामनंदन सिंह एवं बिजेंद्र सिंह, पूर्व- रामनंदन राम, पश्चिम- पिंड छावर	क) 19.11.2024 ख) रु.45,69,216.78 + अतिरिक्त ब्याज ग) 28.01.2025 घ) प्रतीकात्मक	क) रु.33,49,000/- ख) रु.3,34,900/- ग) रु.50,000/-	दिनांक 26.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी: 1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा | प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !
सम्पति वसूली प्रबंधन शाखा
ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पतियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पतियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	पीएनबी-ओल्ड जीटी रोड (608300) श्रीमती अंजलि देवी पति श्री अरविंद कुमार, श्री अरविन्द कुमार पिता श्री जनार्दन सिंह निवासीः ग्राम- सुंदरगंज, दुधर,थाना-रिसियप, जिला-औरंगाबाद, बिहार-824102	भूमि एवं निर्माण स्थितः मौजा- पीरौंटा,थाना- फेसर, थाना संख्या- 545, तौजी संख्या- 4956, अंचल- औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद, बिहार, खाता संख्या- 87, प्लॉट संख्या- 464, क्षेत्रफल- 43.25 डेसिमल, विक्रय विलेख संख्या- 3764 दिनांक 08.03.2022, श्रीमती अंजली देवी पति श्री अरविन्द कुमार के नाम पर। चौहद्दीः उत्तर- सड़क, दक्षिण- सड़क, पूर्व- अरविंद कुमार सिंह, पश्चिम- रामू मेहता एवं चंद्रदीप पासवान प्लॉट संख्या 463 एवं 462 भूमि एवं निर्माण स्थितः मौजा- पिरौंटा, थाना- फेसर, थाना संख्या- 545, तौजी संख्या- 4956, अंचल-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, बिहार, खाता संख्या- 87, प्लॉट संख्या- 464, क्षेत्रफल- 43.25 डिसमिल, विक्रय विलेख क्रमांक-3765 दिनांक 08.03.2022, श्री अरविन्द कुमार पिता श्री जनार्दन सिंह के नाम पर। चौहद्दीः उत्तर- सड़क, दक्षिण- सड़क, पूर्व- मुखदेव मेहता एवं हरवंश दुसाध प्लॉट संख्या 465, पश्चिम- अंजलि देवी	क) 11.04.2025 ख) रु. 2,09,97,982.64 + अतिरिक्त ब्याज ग) 04.07.2025 घ) प्रतीकात्मक	क) रु.1,60,46,400/- ख) रु.16,04,640/- ग) रु. 50,000/-	दिनांक 26.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी: 1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा | प्राधिकृत अधिकारी